

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)
समस्तीपुर


कार्यालय आदेश संख्या - 336/NG/2020/Engg/SPJ

श्री राज नन्दन कुमार, पुत्र -श्री सुरेन्द्र प्रसाद, टी.एम.-III/तिरुच्चिरापल्लि मंडल, वेतनमान- 5200-20200+1900, (लेवल -2),पदानवत पद TM-IV लेवल-1 जिनका अंतर रेलवे निजी अनुरोध स्थानान्तरण मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/ तिरुच्चिरापल्लि का पत्र संख्या -P(S)/677/I//IRT /TM/other RLY/TPJ/Vol-II, Dated 04.01.2017 एवं HQ / HJP का पत्र सं० -ECR /HRD / 283 / IRT /Engg /TM /17 दिनांक 17.04.2017 द्वारा स्वीकृत हैं एवं मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/ तिरुच्चिरापल्लि का पत्र संख्या-T/P.677/I/EA/IRT/VOL.IV, Dt-03.03.2020 के द्वारा विरमित होकर इस मंडल में पदस्थापना हेतु दिनांक 06.03.2020 को रिपोर्ट किये हैं, को टी.एम.-IV वेतनमान 5200 - 20200 +1800,लेवल-1 के पद पर एस.एस.ई.(पी.वे.)/BNKI के अधीन पदस्थापित किया जाता है। श्री राज नन्दन कुमार के इस मंडल में रिपोर्ट करने की तिथि 06.03.2020 से 22.03.2020 तक प्रतिक्षारत अवधि,दिनांक-23.03.2020 से 10.05.2020 तक एल0ए0पी0, दिनांक-11.05.2020 से 11.06.2020 तक एल0एच0ए0पी0 तथा दिनांक-12.06.2020 से कार्यालय आदेश जारी होने तक की अवधि को एल0डब्लू0पी0 अवधि मानी जाएगी ।

उक्त स्थानान्तरण, कर्मचारी के अन्तर रेलवे निजी अनुरोध पर है, अतः इन्हें स्थानान्तरण पर मिलने वाली कोई भी सुविधा देय नहीं हैं ।

उपरोक्त वमई(समन्वय)/समस्तीपुर द्वारा आदेशित है ।

श्री राज नन्दन कुमार,का फोटो, हस्ताक्षर एवं बांये अंगूठे का निशान अधोहस्ताक्षरी द्वारा अभिप्रमाणित है।



सं० - का 283/अ.रे.-अ.म./अभि./सम०

(आर.आर.लकड़ा)
मंडल कार्मिक अधिकारी
कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
समस्तीपुर

दिनांक 17.07.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/उत्तर पश्चिम रेलवे, तिरुच्चिरापल्लि मंडल, पिन नं-620001, कृपया उपरोक्त कर्मचारी का ए0पी0ए0आर0 एवं सेवा अभिलेख विधिक्षणोपरान्त इस मंडल को अविलम्ब भेजें।
2. वमई(समन्वय)/समस्तीपुर एवं सहायक मंडल ईजीनियर सहरसा ।
3. वमविप्र./समस्तीपुर
4. सिसेई/पी.वे./ बनमंखी -कृपया कर्मचारी का योगदान देने संबंधी सूचना इस कार्यालय को दे ।
5. मुकार्याधी/ईजी0 संवर्ग- कृपया उक्त कर्मचारी का अन्य आवश्यक कारवाई सुनिश्चित करे।
6. मुकार्याधी/विविध बिल-कार्यालय में।
7. मुकार्याधी अनुश्रवण प्रकोष्ठ
8. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू ओबीसी एवं अजा-अजजा एशो/सम० मंडल।
9. संबंधित कर्मचारी-आप सिसेई/पी.वे./बनमंखी को रिपोर्ट करे।
10. अभिलेख हेतु।

कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
मंडल कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर